Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 21-02-2006
Participants : Yadav Shri Devendra Prasad,Patil Shri Shivraj V.,Malhotra Prof. Vijay Kumar

an>

Title : Regarding the situation arising out of large scale demolition in Delhi.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 15-20 आदेश दिए और ट्रायल करके प्रति दूसरे-तीसरे दिन आदेश आ रहा है कि दिल्ली में 10 लाख मकानों और 4 लाख दुकानों को तोड़ा जाए। इसके कारण प्रभावित लोगों के सामने बुलडोजर और हथौड़ा मंडरा रहा है। पहले ऑर्डर आया कि 18 हजार मकान जो बाद में बने, उन सब को तोड़ दिया जाए। दूसरा ऑर्डर यह आया कि सभी जितने गांव हैं और वहां जो कन्स्ट्रक्शन हुआ है, जो आम बाई-लॉज में नहीं आते, उन सब को तोड़ दिया जाए। तीसरा आदेश आया कि यमुना के आसपास जितनी कॉलोनियां बसी हैं, उन सब को तोड़ा जाएगा क्योंकि उसके कारण यमुना मैली होती है। चौथा ऑर्डर यह आया कि 80 फुट से ऊपर की सड़कें और दूसरी जगह घरों में बनी दुकानें चाहे छोटी सी कैमिस्ट या दूसरी कोई दुकान हो, उसे भी तोड़ दिया जाए। लगातार ऐसे ऑर्डर हर दूसरे दिन आ रहे हैं। कोई कोर्ट में जाता है और ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इतनी जिम्मेदार नहीं है। बात यह है कि जब तक इसके बारे में नियम नहीं बनेंगे और फैसला नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। 10 लाख मकानों और चार लाख दुकानों को कोई नादिरशाह या कोई बड़ा शासक आकर भी नहीं तोड़ सÉBÉEiÉÉ[R11]। सारी दिल्ली को तोड़कर दूसरी जगह राजधानी नहीं बन सकती है। दिल्ली में बाहर के प्रदेशों से लोग आए और उन्होंने आकर बस्तियां बसाईं, उन बस्तियों को तोड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। यहां 1400 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां हैं जिनमें 20 लाख लोग रहते हैं, उन सबको तोड़ने का भी ऑर्डर है। पिछले दो-तीन महीने से यह चल रहा है। हमें समझ में नहीं आता है कि सरकार इसमें क्या कार्रवाई करने जा रही है? यह मामला दिल्ली सरकार का नहीं है और न ही यह मामला कारपोरेशन का है। हाई कोर्ट ने कहा है सिर्फ केन्द्रीय सरकार मास्टर प्लान अमेंड कर सकती है, केवल केन्द्रीय सरकार कोई कानून बना सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार-बार कहता है कि कानून बनाइए, नियम बनाइए और अगर कानून के खिलाफ कोई काम हुआ है तो उसे तोड़ दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। लोग सारी रात जागते हैं, वे सहमे हुए हैं, उन्हें रात को भी बुल्डोजर आते हुए दिखाई देते हैं। मैं उन इलाकों में गया था, वहां महिलाएं रात को सो नहीं पाती हैं, वे कहती हैं कि कल हमारी बारी आने वाली है, ये मकान गिरा दिए जाएंगे, ये दुकानें सील कर दी जाएंगी। अब संसद सत्र चल रहा है और संसद के बाहर बयान दिए जा रहे हैं जिनमें कभी कहा जाता है कि कमेटी बना दी गई है, जो तीन महीने में रिपोर्ट देगी। कभी यह कहा जाता है कि एक और कमेटी बनाई गई है जो लाल डोरा के बारे में रिपोर्ट देगी।

MR. SPEAKER: We cannot refer to the State Government.

… (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is not a State matter; it is a Central Government's matter. … (*Interruptions*) वहां ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इस तरह से तीन महीने के अंदर दिल्ली बर्बाद हो जाएगी।

आपकी रिपोर्ट जब तक आएगीा तब तक सब चीजें टूट जाएंगी। उन्होंने चालीस दिन का समय दिया है।...(व्यवधान) मैं वही कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट नियम बदल दे और कानून बना दे तो मास्टर प्लॉन...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Is it true Prof. Malhotra, these are matters pending before the court?

... (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The court only says that change the rule and change the law. ... (*Interruptions*) आप रूल्स बदलें और लॉ चेंज कीजिए ,वे यह कर सकते थेा परंतु यहां जब संसद सत्र चल रहा हैा अब तक क्यों एक भी कार्रवाई नहीं की गई है? मिनिस्टर ने आकर एक भी बयान नहीं दिया कि इसका क्या रास्ता है और इसे कैसे ठीक किया जाएगा। लॉ मिनिस्टर यहां बैठे हैं, होम मिनिस्टर यहां हैं। क्या दिल्ली को इस तरह से बर्बाद होने दिया जाएगा? मैं कहना चाहता हूं कि पहले श्री चिदंबरम जी एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे। उस स्कीम में एक लॉ बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि सारी ब्लैक मनी को इन-इन शर्तों पर रैगुरलाइज कर देंगे। आप ऐसी एमनेस्टी स्कीम क्यों नहीं लाते हैं जिससे दिल्ली में मेजर अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन को छोड़ कर सारी मेजर एन्क्रोचमेंट को हटा करके बाकी सब जो पहले से बने हुए हैं उन्हें रैगुरलाइज कर दिया जाए। गवर्नमेंट इसके लिए एमनेस्टी स्कीम ला सकती है। अगर इसे नहीं लाएंगे तो दिल्ली में इतनी तोड़फोड़ होगी, ऐसा हाहाकर मचेगा और इतना बुरा हाल हो जाएगा जिसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक, इतने दिनों में किसी भी मिनिस्टर ने यहां आकर स्टेटमेंट नहीं दिया और किसी ने आ कर नहीं बताया कि क्या करेंगे।

MR. SPEAKER: I do not know whether it is a State matter or not.

... (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा नहीं है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री राम गोपाल यादव।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : लाखों झुग्गी झोंपड़यों को उजाड़ दिया गया है। जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, वे सड़कों पर आ गए हैं।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is this happening?

... (*Interruptions*)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :आप बैठिए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह काम नहीं किया गया है। इसके लिए डॉयरेक्शन दीजिए। कल शहरी विकास मंत्री सदन में आकर बताएं, अगर वे नहीं हैं तो लॉ मिनस्टर आ कर बताएं कि क्या किया जा सकता है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Senior Ministers are sitting here. I need not give direction.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: What do you want? Can we have a debate on this?

... (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यहां होम मिनिस्टर बैठे हैं। इसके लिए सदन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय,यहां पूर्वांचल से लोग आए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल से और बिहार से पूर्वांचल के तीस लाख लोग दिल्ली में हैं। बड़े पैमाने पर झुग्गी झोंपड़ियों को उजाड़ा गया है। विगत चार सालों में कितने लोगों को बेरोजगार बनाया गया है। जो लोग हैंड टू माउथ थे, जिनके पास खाने के लिए दो समय का अनाज नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जो समाज के अंतिम आदमी हैं, जो रोजी-रोटी के लिए मरते फिरते हैं, ऐसे लोगों को उजाड़ा गया है, लेकिन यह सवाल सदन में नहीं उठा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जितनी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, उन्हें ऑथोराइज्ड किया जाए। इसके साथ झुग्गी झोंपड़ियों के उजड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें बसाया VÉÉA[c12]।

सरकार ने झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोगों को उजाड़ दिया है। हमारी मांग है कि उन्हें फिर से बसाया जाए। झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोगों से बड़े लोग काम लेते हैं।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : I cannot allow a general discussion on this.

... (*Interruptions*)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ये लोग बिजली का, तारों का तथा सफाई से लेकर छोटे-मोटे सारे काम करते हैं। मल्टी स्टोरीज वाले इन छोटे लोगों से काम लेते हैं। इन लोगों को यहीं बसाया जाए।...(व्यवधान) दिल्ली की चमक इन झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोगों के बल पर ही है।

MR. SPEAKER : I will not allow further. I cannot allow it. हम किसी को इजाजत नहीं देंगे।

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I will not allow it any longer. No, you will have to sit down.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : An important matter has been raised. Without any rule, without any procedure, without any notice you want to make a general discussion here. How can I carry on in this House?

… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप उन्हें निर्देश दें।

MR. SPEAKER : I cannot compel him. You know it. I do not know if he wants to make it. I also do not want that the Ministers should respond. It gives encouragement to all the hon. Members to insist on statements.

… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हम पिछले एक महीने से नोटिस दे रहे हैं।…(व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, we shall have to consider as to how this kind of matter can be considered on the floor of the House. It is to be seen whether it is a *sub judice* matter or whether it can be discussed here.

MR. SPEAKER : The last time he said it is a Central Government mater.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : That is one thing. Secondly, if there is a proper notice then one can respond to it. On the spur of the moment, on a matter like this, if we are asked to respond, it will not be correct. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : This is quite good. I also stated it.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : You made your comment.